भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 913

उत्तर देने की तारीख : 19.09.2020

पीएमएमवाई के अन्तर्गत शिशु ऋण

913. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने अपने 'शिशु' ऋण खातों पर 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता का दावा किया है;

(ख) अब तक ऐसे कितने दावों को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) कोविड के बाद के विश्व में स्थापित किए गए नए एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) मार्च से अब तक कितने एमएसएमई को दिवालिया घोषित कर दिया गया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र "kM›$^{+}$h)

(क) और (ख) : सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) जोकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक सहायक कंपनी है, जो पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने, आंकड़ों की निगरानी करने और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के वेब पोर्टल के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। मुद्रा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 17.09.2020 तक प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 'शिशु' ऋणों के संबंध में कुल 73,41,039 खातों को 2 प्रतिशत ब्याज के तहत कवर किया गया है। इस तरह के 61,05,294 खातों के दावे जारी किए गए हैं।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देश के एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इनमें प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर), एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज छूट स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) इत्यादि शामिल हैं।

(घ) : अर्थव्यवस्था पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 05.06.2020 को एक अध्यादेश लागू किया है। यह अध्यादेश 25 मार्च, 2020 से छह महीने (जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के दौरान उत्पन्न हुई चूक के लिए दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड 2016, के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है।

******